न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 42 / 2021

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. नरसाराम पुत्र पोलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) उम्र 60 वर्ष 2. हरदान पुत्र तेजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) उम्र 72 वर्ष निवासियान बामणी धनवा तहसील सिणधरी		1. दलाराम पुत्र धनाराम उम्र 45 वर्ष जाति कुम्हार (प्रजापति) 2. भेराराम पुत्र धनाराम उम्र 52 वर्ष जाति कुम्हार (प्रजापति) 3. धर्मोदेवी पत्नि खेताराम उम्र 74 वर्ष जाति कुम्हार (प्रजापति) 4. राजूराम पुत्र खेताराम उम्र 44 वर्ष जाति कुम्हार (प्रजापति) 5. रावताराम पुत्र खेताराम उम्र 42 वर्ष जाति कुम्हार (प्रजापति) 6. भीखाराम पुत्र खेताराम उम्र 39 वर्ष जाति कुम्हार (प्रजापति) सभी निवासियान मूंका थानसिंह तहसील सिणधरी 7. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री अमराराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 से 6
3. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 06.02.2024

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि राजस्व गांव मूंका थानसिंह पटवार क्षेत्र करना तहसील सिणधरी की मूल खसरा सं. 158 अवस्थित रहा हैं, वक्त सेटलमेन्ट मौके व नक्शे अनुसार सम्पूर्ण रूप से अवस्थित रहा, खसरा सं. मूल 158 के जमाबन्दी खतोनी में बने तरमीमी खसरान की मौके के कब्जा काश्त अनुसार माफिक खतोनी [illegible] कबानुसार करने हेतु तथा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी एवं बिना विधिक प्रक्रिया [illegible] खातेदारो की सुनवाई सबुत का अवसर दिये की गई खसरा सं. 158, 219 / 158, की [illegible]टटा ट्रेस में दर्ज तरमीम [illegible]विष्टियां को हटाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योकि खसरा संख्या 158, 219 / 158 की वर्तमान लटटा ट्रेस में की गई तरमीम यथावत रखने से मौके पर प्रार्थीगण की भूमि में दखल की स्थिति उत्पन्न हो रही है, मौके पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" अनुसार कब्जा काश्त हैं, और इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:58 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार मौके पर तारबंदी की हुई हैं, किन्तु नक्शा लट्ठा ट्रेस में कब्जा काश्त के विपरीत बिना पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये, ही, तरमीम वर्तमान लटटा ट्रेस में दर्ज कर दी है, इसलिये उक्त तरमीम को हटाकर खातेदारान के मौके पर कब्जे एंव राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार तरमीम कायम करने हेतु वर्तमान प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी के हक में निष्पादित पंजीकृत दस्तावेज में भी भूमि मौके पर वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार रहेगी, का अंकन हैं । मूल खसरा सं. 158 का कुल रकबा वक्त सेटलमेन्ट 51 बीघा 08 बिस्वा रहा है, जिसमें खसरा सं. 219/158, प्रार्थी के खातेदारी का हैं, तथा मूल खसरा सं. 158 विप्रार्थीगण के खातेदारी का हैं, लेकिन मौके पर पक्षकारान् का कब्जा अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर बिना किसी दखल हस्तक्षेप के कायम रहा व है, यहां यह निवेदन करना भी समिचीन है, कि खसरा सं. 219/158, 158 की नक्शा लटटा ट्रेस में की गई तरमीम मनमानी तरंग पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के ही मौके पर कब्जे एवं जमाबन्दी में दर्ज हिस्से से भिन्न दर्ज करवा दी, जिसका कोई अधिकार उन्हे नही है। मूल खसरा सं. 158 में खातेदारो का मौके पर अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर बिना किसी दखल हस्तक्षेप के कायम रहा व है, लट्ठा ट्रेस नक्शा में तरमीम की प्रविष्टियां दर्ज करने से पहले ऐसी तरमीम से प्रभावित होने वाले पक्षकारान को सुनवाई सबूत का अवसर देना न्यायहित में आवश्यक हैं, यही प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धान्त हैं, कि दूसरे पक्ष को भी सुनो, जबकि मूल खसरा सं. 158 में मात्र विप्रार्थी सं. 01 ता 06 के जमाबंदी में दर्ज खसरों की तरमीम नक्शे में मौके के कब्जा काश्त से विपरीत होने से, विप्रार्थी सं. 01 ता 06 के द्वारा ऐसी अशुद्ध गलत तथा मौके की स्थिति के विपरीत तरमीम को आधार बना कर प्रार्थीगण के कब्जे में अनुचित दखल / हस्तक्षेप करने को उतारू हैं, जिससे प्रार्थीगण के विधिक साम्पतिक अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावी हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में उक्त खसरा सं. 219/158, 158 की तरमीम को दुरस्त करना आवश्यक हैं, यदि वर्तमान लट्ठा ट्रेस नक्शा में बिना किसी विधिक प्रक्रिया के की गई तरमीम को यथावत बनाये रखा जाता हैं, तो प्रार्थीगण के कब्जे में दखल / हस्तक्षेप हो रहा है, इसलिए बिना सुनवाई के दर्ज की गई उक्त तरमीम को हटाना न्यायहित में आवश्यक हैं, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा मूंका थानसिंह पटवार क्षेत्र करना के मूल खसरा सं. 158 में मौके कब्जे के विपरीत गलत एवं अवैध तरीके से की गई तरमीम खसरा सं. 219/158, 158 को हटाया जाकर मूल खसरा सं. 158 कीं जमाबंदी में दर्ज रकबे एवं मौके पर अवस्थित पक्षकारान खातेदारों के कब्जे अनुसार तरमीम नक्शा लट्ठा ट्रेस में कायम करने का आदेश प्रदान करावे ।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 07 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विप्रार्थी सं. 1 से 6 [illegible] प्रस्तुत किया गया। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब [illegible]।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व गांव मूंका थानसिंह पटवार क्षेत्र करना तहसील सिणधरी स्व सीमा मूल खसरा सं. 158 अवस्थित रहा हैं, वक्त सेटलमेन्ट मौके व नक्शे अनुसार सम्पूर्ण रूप से अवस्थित रहा, खसरा सं. मूल 158 के जमाबन्दी खतोनी में बने तरमीमी खसरान की मौके के कब्जा काश्त अनुसार माफिक खतोनी में दर्ज रकबानुसार करने हेतु तथा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी एवं बिना विधिक प्रकिया के बिना प्रभावित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2024.03.04 14:57:58 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारो खातेदारो की सुनवाई सबुत का अवसर दिये की गई खसरा सं. 158, 219/158, की लटटा ट्रेस में दर्ज तरमीम की प्रविष्टियां को हटाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योकि खसरा संख्या 158, 219/158 की वर्तमान लटटा ट्रेस में की गई तरमीम यथावत रखने से मौके पर प्रार्थीगण की भूमि में दखल की स्थिति उत्पन्न हो रही है, मूल खसरा सं. 158 का कुल रकबा वक्त सेटलमेन्ट 51 बीघा 08 बिस्वा रहा है, जिसमें खसरा सं. 219/158, प्रार्थी के खातेदारी का है खसरा सं. 219/158, 158 की नक्शा लटटा ट्रेस में की गई तरमीम मनमानी तरंग पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के ही मौके पर कब्जे एवं जमाबन्दी में दर्ज हिस्से से भिन्न दर्ज करवा दी, जिसका कोई अधिकार उन्हे नही है। मूल खसरा सं. 158 में मात्र विप्रार्थी सं. 01 ता 06 के जमाबंदी में दर्ज खसरों की तरमीम नक्शे में मौके के कब्जा काश्त से विपरीत होने से, विप्रार्थी सं. 01 ता 06 के द्वारा ऐसी अशुद्ध गलत तथा मौके की स्थिति के विपरीत तरमीम को आधार बना कर प्रार्थीगण के कब्जे में अनुचित दखल / हस्तक्षेप करने को उतारू हैं, जिससे प्रार्थीगण के विधिक साम्पतिक अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावी हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में उक्त खसरा सं. 219/158, 158 की तरमीम को दुरस्त करना आवश्यक हैं, यदि वर्तमान लट्ठा ट्रेस नक्शा में बिना किसी विधिक प्रक्रिया के की गई तरमीम को यथावत बनाये रखा जाता हैं, तो प्रार्थीगण के कब्जे में दखल/हस्तक्षेप हो रहा है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा मूंका थानसिंह पटवार क्षेत्र क़रना के मूल खसरा सं. 158 में मौके कब्जे के विपरीत गलत एवं अवैध तरीके से की गई तरमीम खसरा सं. 219/158, 158 को हटाया जाकर मूल खसरा सं. 158 कीं जमाबंदी में दर्ज रकबे एवं मौके पर अवस्थित पक्षकारान खातेदारों के कब्जे अनुसार तरमीम नक्शा लट्ठा ट्रेस में कायम करने का आदेश प्रदान करावे ।

4.इसके विपरित वकील विप्रार्थी सं. 1 से 6 ने अपनी बहस के तथ्यों में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड और उनके खसरान सम्बन्धित है, मूल खसरा संख्या 158 के विभाजन से वादग्रस्त दोनों खसरे खसरा संख्या 158 रकबा 4.1583 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 219/158 रकबा 4.1583 हैक्टेयर ग्राम भूका थानसिंह तहसील सिणधरी के नवीन खसरा कायम हुऐ, उक्त खसरा की तरमीम लट्ठा ट्रेस में पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार की गई, प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट मनगठन्त एवं तथ्यहीन है तथा पक्षकारान के कब्ज़ा काश्त के विपरीत बनाया गया है जबकि कब्जा काश्त राजस्व रेकर्ड में की गई तरमीम के अनुसार है और इसी अनुसार मौके पर विप्रार्थीगण का पृथक-पृथक अपने रेकर्डेड रकबे के अनुसार कब्जा काश्त है रहवासी ढाणीया बनी हुई है, मौके पर तारबन्दी की हुई है, इसलिये राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम पक्षकारान के मौका व कब्जा के अनुरूप बैचान विलेख में दर्शाये गये [illegible] इसलिये लट्ठा ट्रेस विधि सम्मत बैचान विलेख में दर्शाये पड़ौस एवं कब्जा काश्त के [illegible] तरमीम है जबकि वाग्रस्त भूमि की तरमीम दोनों सहमति से बैचान [illegible] कब्जा काश्त के अनुसार सहमति स्वरूप की गई है, बैचान विलेख में अंकित पड़ौ[illegible] तथा मुल खसरा संख्या 158 जुड़ी हुई सड़क पर दोनों पक्षों को बराबर-बराबर भूमि देते हुऐ तरमीम की गई है जो सही है, इसलिये उक्त तरमीम में किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्ती रखी जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:57:58 IST
Reason: SelfAttested

सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटठा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती आवेदन खारिज फरमावें।

5.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया गया कि मूल 158 से विभक्त होकर कायम हुए खसरा नम्बर 158, 219/158, की लटटा ट्रेस में दर्ज तरमीम की प्रविष्टियां को हटाने हेतु प्रस्तुत आवेदन में विप्रार्थी सं. 1 से 6 के जवाब एवं तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अद्यतन में स्पष्ट है कि पक्षकारान मौके पर बैचान दस्तावेजों के आधार पर अपने–अपने कब्जे काश्त की भूमि जिस पर ढाणियां बनी हुई पर निवासरत है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच से होती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम हो रखी है।ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन विधिविरूद्व होने से काबिल खारिज है।

7. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन तथ्यहीन एवं विधिविरूद्व होने से खारिज किया जाकर ग्राम भूंका थानसिंह तहसील सिणधरी के मूल खसरा नम्बर 158 से विभक्त होकर नये कायम खसरा नम्बर में विद्यमान भूमि के खसरा नम्बर 158 एवं 219/158 की तरमीम यथावत कायम रखी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 06.02.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:57:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी